विभागीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, गृह विभाग, बिहार, पटना।

क्र0 सं0	योजना / विवरण	इस योजना का विवरण	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	लोक प्राधिकार के समक्ष आवेदन की प्रक्रिया / निवारण
1	परिवाद–भयादोहन के संबंध में।	किसी को डरा / धमका कर किसी कार्य को कराना या उससे लाभ लेना।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
2	काण्ड में कार्रवाई करने / नहीं करने के संबंध में।	कांड दर्ज होने के बाद अभियुक्त के विरूद्ध कार्रवाई करने या निर्दोशिता का जांच कराने से संबंधित।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
3	वारंट / कुर्की जब्ती का निशपादन न करने के संबंध में।	किसी कांड में न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट / कुर्की जब्ती का तामिला कराने से संबंधित।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
4	जान–माल को खतरा / सुरक्षा / धमकी के संबंध में।	सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
5	पारिवारिक विवाद	पति–पत्नी के बीच विवाद / पैतृत्व सम्पत्ति बंटबारा आदि विवाद	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
6	अपहरण की ि ाकायत	अपहरण से संबंधित	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक
7	कांड दर्ज न करना।	घटना की ि ाकायत पर प्राथमिकी समय से दर्ज न करना।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक

8	भूमि–विवाद / ांति भंग	उक्त बैठकों में भूमि विवाद से संबंधित मामलो का निश्पादन एवं अनुश्रवण किया जाता है। अंचल / थाना स्तर पर आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक बैठकों में वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में सुनवाई की जाती है। इसके अलावा संयुक्त रूप से विवादित स्थल का निरीक्षण भी किया जाता है। भूमि की मापी एवं सीमांकन का कार्य भी करवाया जाता है।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अंचलाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / जिला पदाधिकारी
9	साम्प्रादायिक तनाव	साम्प्रादायिक तनाव तब उत्पन्न होती है जब एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भात्रुभाव की भावना रखते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर राहत प्राप्त कर सकते हैं।	परिवादी	थानाध्यक्ष / अंचलाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / जिला पदाधिकारी
10	उग्रवादियों का प्रत्यर्पण एवं पुर्नवास।	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवादी जिला पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / को आवेदन देकर अनुतोश प्राप्त कर सकते हैं।	परिवादी	पुलिस अधीक्षक
11	आतंकवादी / उग्रवादी / साम्प्रदायिक / जातीय विरोधाभाग / निर्वाचन संबंधी हिंसा / सामूहिक हिंसा की घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान	इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को गृह विभाग के विभागीय संकल्प संख्या–8960, दिनांक–30.09.2013 के अधीन अनुग्रह अनुदान हेतु आवंटन।	परिवादी	विशेष कार्यक्रम भााखा के प्रभारी अपर समाहर्त्ता / पुलिस अधीक्षक / जिला पदाधिकारी

12	अग्नि ामन सेवा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र	इस योजना के अंतर्गत आवेदकों द्वारा समर्पित आवेदन / प्लान (प्रस्तावित भवन की विवरणी) का अग्नि निवारण एवं सुरक्षा स्कंध द्वारा अवलोकनोपरांत अनु ांसा के आलोक में सुधार हेतु पत्र / अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत की जाती है।	परिवादी	जिला अग्निशमन पदाधिकारी
13	कारागार व्यवस्था एवं बंदियों की ि ाकायत से संबंधित मामले।	इस योजना के अंतर्गत बिहार में अवस्थित सभी कारा एवं उपकारा में बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के संबंध में किसी प्रकार की ि ाकायत होने पर उसका निवारण कारा अधीक्षक द्वारा किया जाता है।	परिवादी	कारा अधीक्षक
14.	आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति निर्गम	1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एन0पी0 बोर भास्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने हेतु जिला दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं। 2. सामान्य नागरिकों के भास्त्र अनुज्ञप्ति का सम्पूर्ण भारतवर्श क्षेत्र विस्तार हेतु राज्य सरकार सक्षम प्राधिकार हैं। 3. पी0बोर भास्त्र अनुज्ञप्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।	परिवादी	प्रभारी उप–समाहर्त्ता (जिला भास्त्र)

15.	कब्रिस्तान घेराबंदी के संबंध में।	राज्य सरकार द्वारा साम्प्रादायिक सद्भाव बनाये रखने के उद्दे य से संवेदन ील कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने का प्रावधान है। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदन ीलता के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची के अनुसार कब्रिस्तानों के घेराबंदी की जाती है।	परिवादी	प्रभारी उप–समाहर्त्ता/ जिला योजना पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी
16.	मंदिर घेराबंदी की योजना से संबंधित मामले।	मंदिरों में रखी बहुमूल्य मूर्तियां, मुकुट, छत्र, आभूशण आदि की सुरक्षा हेतु बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना 2016 से प्रारंभ की गयी है। जिसके अंतर्गत बिहार में अवस्थित जिला स्तर से प्राथमिकता सूची के अनुसार मंदिर घेराबंदी की जाती है।	परिवादी	प्रभारी उप–समाहर्त्ता/ जिला योजना पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी
17.	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में विलंब के संबंध में।	कांड का अनुसंधान समय से पूर्ण न करने एवं पर्यवेक्षण निर्गत समय पर न करने से संबंधित।	परिवादी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक
18.	सैनिकों के कल्याण से संबंधित मामले।	इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा जिलों में सेवानिवृत सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण जिला कार्यालय की स्थापना की गयी है जिसके अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं तथा वीरनारी के कल्याणार्थ हेतु योजनाएं चलाई जाती हैं।	परिवादी	जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी
19	पुलिस सत्यापन से संबंधित शिकायतें।	चरित्र सत्यापन /पता सत्यापन से संबंधित	परिवादी	थानाध्यक्ष